राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 755--एक/13 जिला मन्दसौर

गिरधारी / नन्दकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-03-15	यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 677/11--12 में पारित आदेश दिनांक 09--01--2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा निगरानी में उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य सीमांकन में पाये जाने से आधिपत्य दिलाने हेतु अनावेदक व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह आवेदनपत्र तहसील न्यायालय ने इस आधार पर अमान्य किया है कि सीमाकंन प्रतिवेदन एवं पंचनामें में आवेदक की कौन--सी भूमि के किस भाग पर किस दिशा में किस--किस का अवैध आधिपत्य है, यह अंकित नहीं है। अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षकों के गठित दल व्दारा किया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन की कण्डिका 14 में किस	

व्यक्ति का किस सर्वे नम्बर पर कब्जा है, यह दर्शाया गया है तथा सीमांकन के साथ नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें अतिक्रमिक भाग को लाल–स्याही से दर्शाया गया है। राजस्व निरीक्षकों के दल व्दारा किये गये सीमांकन को आवेदकगण व्दारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने का कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में नहीं है। विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि का स्वयं स्थल निरीक्षण कर नक्शे में लालस्याही से दर्शित अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रामकों के कब्जे से मुक्त कराने के आदेश दिये हैं। लालस्याही से दर्शित प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा किस आधार पर विधि–संगत है, इस संबंध में कोई सन्तोषजनक तर्क निगरानी में नहीं उठाया गया और ना ही इस संबंध में कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया है। भूमिस्वामी व्दारा अपने स्वत्व की भूमि का संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत सीमांकन कराया गया है और सीमांकन में पाये गये अवैध आधिपत्य का कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकार अनावेदक को है। ऐसी दशा में विव्दान अपर आयुक्त के आदेश में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09–01–13 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख

3

आदेश की प्रति के साथ वापिस किये जायें तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

न्यायालय:-माननीय राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर

प्र.क्र. - R 755-I/13

1-गिरधारी पिता बगदु चमार, आयु - वयस्क
2-धुरा पिता शम्भु, चमार, आयु - वयस्क
3-हनुमान पिता भंवर बागरी, आयु - वयस्क
4-भगवान पिता कालुराम डांगी, आयु - वयस्क
5-बाबु खां पिता यासीन खां, आयु - वयस्क
6-नरसिंह पिता बगदीराम बागरी, आयु - वयस्क
7-मोहनबाई पति राधेश्याम चमार, आयु - वयस्क
सभी निवासीगण - कचनारा, तहसील- सीतामऊ,
जिला मन्दसौर म.प्र. ------ निगरानीकर्ता

बनाम

नन्दकिशोर पिता जगदीश उर्फ वासुदेव, आयु 65 साल,
धंधा कृषि, निवासी- मन्दसौर, जिला मन्दसौर
हा.मु.- रेसीडेंसी ऐरिया इन्टलेक्स कालोनी इन्दौर
द्वारा मु.आम - अखिलेश पिता गोपालकृष्ण शर्मा,
आयु 35 साल, धंधा - व्यापार, निवासी- मन्दसौर
जिला मन्दसौर म.प्र. ----- विपक्षी

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता

अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक-677/11-12/अपील, मे पारित आदेश दिनांक 09-01-2013 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नवत प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

-यहकि विपक्षी/आवेदक ने सीमांकन करवाकर नायब तहसीलदार

निरन्तर-2